

पत्रा० पेश हुई। वक्तु० उप० मूल वाद में
p.० जारी करने वाकत सहमति उदान की
वक्तु० पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी
गई। वही अधिवक्ता ने उमपपक्षकारान को
मूल वाद के अंतिम निस्कारण तक
पावेंद करने का निवेदन किया गया।
बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन
से स्पष्ट है कि दावा 53 का है। एवं
उमपपक्ष अधिवक्ता द्वारा p.० जारी
किये जाने वाकत सहमति भी उदान की
जा चुकी है। ऐसे में मूल वाद के
अंतिम निस्कारण तक उमपपक्षकारान को
विवादित आराजीयात पर मौख व राजस्व
रिकॉर्ड की स्थिति संचालन रखने वाकत
पावेंद किया जाना उचित उमीत होगा है।
अतः पावेंद किया जाता है। एवं पत्रावली
जिसल शुमार होकर नम्बर से इस है।
एवं मूल वाद के साथ सौलन की
जाए।

